

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (युप-2) विभाग

क्रमांक — प. 2(1)साप्र. / 2 / 2014.

जयपुर, दिनांक ।।। ।।। ।।।

— आदेश —

श्री शंकर लाल कुमारत, आई.ए.एस., सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर जिनकी द्वितीय श्रेणी की वरिष्ठता संख्या 76/2014, एवं सेवानिवृत्ति दिनांक 30.6.2040 है, के आधार पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 में शिथिलन प्रदान करते हुए आउट ऑफ टर्न के आधार राजकीय आवास संख्या ॥/20, गार्धीनगर, जयपुर का नियमानुसार किराये पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है —

शर्ते —

1. आवास का कब्जा आवास रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
 2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
 3. सेवानिवृति पश्चात् आवास रिक्त करना होगा।
 4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात् आवास रिक्त करना होगा।
 5. स्वयं तथा पल्नि/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
 6. सम्बंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी— चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास वा आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसार में आवास के आवंटन/रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन र्वाकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात् उसे ब्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान विराया भल्ता यदि उस क्षेत्र में जनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
 7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिकारी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी:—
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पल्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्त भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,


 (महेन्द्र कुमार खात्री)
 शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थे एवं आवश्यक कार्यकारी हेतु प्रयोग है :-

1. सम्पादीय आयुक्त, जयपुर।
 2. जिला कलेक्टर, जयपुर।
 3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (के-१) विभाग, जयपुर।
 4. श्री शकर लाल कुमावत, आई.ए.एस., सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
 5. निदेशक, सम्पदा विभाग, गिनी सचिवालय, जयपुर।
 6. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 7. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यालय को आईडी संख्या एम/116/जीएडी/2015, दिनांक 20.2.2015 के क्रम में।
 8. कोषधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
 9. अधिशासी अभियन्ता, सा०नि०वि०/जन स्वा००भि०वि०, जयपुर वि०वि०निगम लि०, गांधीनगर, जयपुर।
 10. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटाती को कार्यालय को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी ह्वारा रिक्त उपलब्ध होने के उपरान्त निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या-६ वाँ पालना को भी अमल में लावें।
 11. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
 12. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (गुप-४) विभाग।
 13. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (गुप-५) विभाग।
 14. सहायक प्रोग्रामर सामान्य प्रशासन (गुप-३) विभाग को— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
 15. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वाँकी गांधीनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश की एक प्रति नॉटेस बोर्ड पर चर्चा करावें।
 16. प्रबन्धक विश्राम भवन, जयपुर।
 17. प्रबन्धक ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर।
 18. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
 19. रक्षित पत्रावली।

मृद्ग आखन उपरी संचिव

राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 18(1)साप्र / 2 / 2015

जयपुर, दिनांक : १०/३/२०/५

—: आदेश :—

श्री शंकरलाल जाट, वाहन चालक, जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर को उनकी पंचम् श्रेणी की वरियता संख्या 58/1999 व सेवानिवृत्ति दिनांक 31.12.2033 के आधार पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार नियमानुसार किराये पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास संख्या 5/128, गांधीनगर, जयपुर का निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है:-

शात :-

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश रखतः निरस्त समझा जावेगा।
 2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
 3. सेवानिवृति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
 4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
 5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
 6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी— चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(गा)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
 7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 2. आवेदन प्रस्ताव करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
 8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आशा से,

الله

नहेन्द्र कुमार खींची)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
 2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
 3. प्रभारी अधिकारी (संस्थापन), जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर, जयपुर।
 4. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामान्य प्रशासन विभाग को आईडी संख्या 140/एम/जीएडी/15 दिनांक 3.3.2015 के क्रम में।
 5. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
 6. प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर—कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
 7. अधिशाषी अभियन्ता, सा०नि०वि०/जन स्वा० अभि० वि०/जयपुर वि०वि०निगम लि०, गॉधीनगर, जयपुर।
 8. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गॉधीनगर, जयपुर—कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लॉकबोर्ड पर चर्चा करावें।
 9. संबंधित कर्मचारी।
 10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
 11. रक्षित पत्रावली।


(मंजू भटनागर)
सहायता शास्त्र संचित